

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/154

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	97/24	5/4/2024		18/4/2024

H/15/24
PMB

अनवान

श्री. आहिरा S/O गोपी श्रीवा

श्री. सावरा S/O कैलाश श्रीवा

निवासी बड़ोदिया

निवासी बड़ोदिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री. राजपुत धाकड़

श्री.

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

बनाम बारा

वनाम

बारा

किरम मुकदमा - 111-128

नम्बर 97 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5/4 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वारते तलबी/जवाब दिनांक 18/4/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उ उपखण्ड/अधिकारी बिजौलियां</p> <p>18/4/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित भीमान P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 18/4/24 को वास्तु 30-81 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">97 उपखण्ड अधिकारी</p> <p>9/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिकार प्रार्थी उपस्थित। विपरीतगी की बाद तामील प्राप्त हुई। इसके शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में छ-परीय भोदरा चारित किए गए। पत्रावली वास्तु भोदरा आगामी दिनांक 14/5/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उ उपखण्ड/अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p> <p>14/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिकार प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में भोदरा/मोयि चारित किए गए। पत्रावली कसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर चारित पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उ उपखण्ड/अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	1/1



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 97/24

तारीख 5/4/24

नाहरा पुत्र गोपी जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. सावरा पुत्र कैलाश जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. खाना पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. रतनलाल पुत्र मांगु जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. गोपाललाल पुत्र केशुलाल जाति महाजन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी श्यापुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. सोलाल पुत्र गेंदा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 17/5/24

प्रार्थना पत्र नाहरा पुत्र गोपी जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी संख्या 30 रकबा 0.0809 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 81 पर अंकित आराजी संख्या 130, 172, 173/1, 173/2, 176/2, 176/4, 180, 181 कुल किता 08 रकबा 1.9749 हैक्टैयर भूमि सामलाती पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीया अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी संख्या 30 रकबा 0.0809 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 81 पर अंकित आराजी संख्या 130, 172, 173/1, 173/2, 176/2, 176/4, 180, 181 कुल किता 08 रकबा 1.9749 हैक्टैयर भूमि सामलाती भूमि बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 5/4/24

प्रकरण संख्या - 97/24

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 97 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

नाहरा पुत्र गोपी जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)प्रार्थी

बनाम

01. सावरा पुत्र कैलाश जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. खाना पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. रतनलाल पुत्र मांगु जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. गोपाललाल पुत्र केशुलाल जाति महाजन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी श्यापुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. सोलाल पुत्र गेंदा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी संख्या 30 रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 81 पर अंकित आराजी संख्या 130, 172, 173/1, 173/2, 176/2, 176/4, 180, 181 कुल कित्ता 08 रकबा 1.9749 हैक्टेयर भूमि सामलाती भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावे। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीया अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा